कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर

आदेश सं0– 123 / 2021
दिनांकः जून 21. 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1946/LXXXVII-CPC/ e-Courts/ Allahabad दिनांकित 26.04.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 28.04.2021 से जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के जिला मुख्यालय एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में नवीन (Fresh) जमानत/ रिमांड आदि अर्जेण्ट प्रकृति का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर एवं वाह्य स्थित न्यायालयों खुर्जा एवं अनूपशहर में विभिन्न तिथियों में पूर्व से लम्बित सभी मामले (केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही है), की सुनवाई हेतु अगली सामान्य तिथि निम्नानुसार नियत की जाती है–

सभी मामलों में नियत तिथि	**सभी मामलों में अग्रिम नियत तिथि**
21.06.2021	16.07.2021
22.06.2021	17.07.2021
23.06.2021	19.07.2021
24.06.2021	20.07.2021
25.06.2021	22.07.2021
26.06.2021	23.07.2021

समस्त न्यायालयों के मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि सी. आई.एस. सोफ्टवेयर में वादों को अग्रसारित किये जाने का कार्य उनके द्वारा स्वयं प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

21.6.2021

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्यालय एवं समस्त वाह्य न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. समस्त बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर, खुर्जा, अनूपशहर, स्याना एवं डिबाई।
3. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर।
4. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुलन्दशहर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

21.6.2021

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।